



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-18042026-271898
CG-KA-E-18042026-271898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1862]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026/चैत्र 27, 1948

No. 1862]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2026/CHAITRA 27, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुबबल्ली, 17 अप्रैल, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20A के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1932(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (24/89) (संशोधन अधिनियम 2008) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "कर्नाटक राज्य में कि.मी. 16/200 (सोलादेवनहल्ली गाँव) पर लेवल क्रॉसिंग सं. 10 के स्थान पर आर.यू.बी. का निर्माण" के निष्पादन हेतु अपेक्षित है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने का अपना आशय घोषित करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

इस प्रकार की प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बंगलुरु और क्षेत्रीय आयुक्त, बंगलुरु को "किलोमीटर संख्या 16/200 (सोलादेवनहल्ली गाँव) पर एलसी संख्या 10 के स्थान पर आरबी के निर्माण" के संबंध में प्रस्तुत की जाएगी। आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें आपत्ति के आधार बताए जाएंगे, तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, और सभी

आपत्तियों पर सुनवाई करने और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-मानचित्र और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्याएँ	भाग	ए-जी-ए में क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	सोलादेवनहल्ली	61	61/*/1	0-2-13	0.0284
			61/*/2	0-1-07	0.0146
2	सोलादेवनहल्ली	0	0/*/1	0-12-1	0.1220
3	सोलादेवनहल्ली	59	59/*/*	0-0-15	0.0095
4	सोलादेवनहल्ली	58	58/*/*	0-12-16	0.1315
5	सोलादेवनहल्ली	85	85/*/*	0-7-11	0.0778
		कुल		0-37-15	0.3838

[फा. सं. SWR/W352/RSP/LAND/LC10/20A]

निंगप्पा चंदप्पा चालुवादि, उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 17th April, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989 (Amendment Act, 2008)

S.O. 1932(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24/89) (Amendment Act 2008) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of RUB in lieu of LC No.10 at Km: 16/200 (Soladevanahalli village)” in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer Bangalore and Regional Commissioner, Bengaluru for “Construction of RUB in lieu of LC No.10 at Km: 16/200 (Soladevanahalli village)” in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Nos.	Part	Area in A-G-A	Area in Hectare
1	Soladevanahalli	61	61/*/1	0-2-13	0.0284
			61/*/2	0-1-07	0.0146
2	Soladevanahalli	0	0/*/	0-12-1	0.1220
3	Soladevanahalli	59	59/*/*	0-0-15	0.0095
4	Soladevanahalli	58	58/*/*	0-12-16	0.1315
5	Soladevanahalli	85	85/*/*	0-7-11	0.0778
TOTAL				0-37-15	0.3838

[F. No. SWR/W352/RSP/LAND/LC10/20A]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer